भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2511
दिनांक 06 अगस्त, 2024/ 15 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

नाबालिगों का दुर्व्यापार

2511. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नाबालिगों के दुर्व्यापार व्यापार को रोकने के लिए आपराधिक कानूनों में कोई विशेष उपबंध किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या बच्चों के प्रति अपराधों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में विशेष प्रावधान किए गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : भारत सरकार मानव दुर्व्यापार, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के अपराध को रोकने और उसका मुकाबला करने को अत्यधिक महत्व देती है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 143 मानव दुर्व्यापार से संबंधित किसी भी अपराध के लिए दंडात्मक प्रावधान करती है। बीएनएस की धारा 144(1) में बच्चों के यौन शोषण संबंधी दुर्व्यापार के अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराधों की सजा पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक होती है ।

लोक सभा अता. प्र.सं. 2511 दिनांक 06.08.2024

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भी, अन्य बातों के साथ, विशेष प्रावधान किए गए हैं। विशेष रूप से, बीएनएस की धारा 95 से 99, बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से संबंधित हैं और अपराधियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करती हैं। इन धाराओं में किसी बच्चे को अपराध करने के लिए भाड़े पर लेना, नियोजित या नियुक्त करना; बच्चे का उपापन करना; और वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चे को बेचने/खरीदने आदि के अपराध से निपटने के प्रावधान हैं। इन अपराधों की सजा तीन वर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक होती है।

इसके अतिरिक्त, बीएनएस की धारा 139 में भीख मंगवाने के उद्देश्य से बच्चे का व्यपहरण अथवा विक्लान्गीकरण करने के खिलाफ सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 141 के अंतर्गत अगर कोई विदेश से किसी बालक या बालिका को यौन सम्बन्धी अनाचार, इत्यादि हेतु आयात करता है तो उनके विरुद्ध सजा का प्रावधान है। इन अपराधों के लिए दस वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है ।
